वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

CIRCULAR No. 416

No. 5-1(6)/2008-PD

Dated 29th July, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub.: Reclassification of non-technical posts as technical.

Sir,

I am directed to state that pending decision on reclassification of certain posts the Laboratories/Institutes were requested vide CSIR letter No. 17/66/REC/94-PPS dated 4.5.1999 that any fresh recruitment to the post of Civil Engineers/Architectural, Doctors, Nurses, Compounders, Teachers etc. may be kept in abeyance. Subsequently, CSIR vide letter dated 16.1.2003, permitted Laboratories/Institutes to fill the post of Civil Engineers/Architecture, Medical Officers in dispensaries in Gr. III in Technical Side. However, some of the Laboratories/Institutes have been permitted, on case to case basis, to fill up the post of Nurse, Compounder and Pharmacist in Dispensary in Gr. II but under non-technical category by following the "CSIR Service Rules, 1994 for recruitment of technical and support staff".

Pending decision of the Committee on reclassification of posts, the competent authority has decided that since any decision of the Committee on re-classification will be implemented from prospective effect, the Nurses, Compounders and Pharmacists who have been appointed after 4.5.1999 in the non-technical category against the Gr. II post, in accordance with the "CSIR Service Rules, 1994 for recruitment of technical and support staff", may be considered for assessment promotion as per the provisions contained in Revised MANAS.

The above instructions may please be brought to the notice of all concerned for compliance.

Yours faithfully,

29/7/08

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs/Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. US & PPS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. P.A. to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
9. Head, URDIP/IPMD/HRDC/RDPD/TNBD/ISTADS
10. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
11. Heads of RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Centre (Now IITR), Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714759, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

परिपत्र सं. 416

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 5-1(6)/2008-पीडी

Dated 29 जुलाई, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: गैर-तकनीकी पदों का तकनीकी पदों के रूप में पुनःवर्गीकरण

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछेक पदों के पुनःवर्गीकरण से संबंधित निर्णय के लंबित होने के फलस्वरूप सीएसआईआर के दिनांक 4.5.1999 के पत्रांक 17/66/आरईसी/94-पीपीएस के द्वारा प्रयोगशालाओं/संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि सिविल इंजीनियरों/आर्किटेक्चरों, डॉक्टरों, नर्सों, कम्पाउंडरों, अध्यापकों आदि के पद पर किसी नई भर्ती को प्रास्थगित रखा जाए। तत्पश्चात सीएसआईआर ने अपने दिनांक 16.1.2003 के पत्र द्वारा प्रयोगशालाओं/संस्थानों को तकनीकी वर्ग में समूह-III में सिविल इंजीनियरों/आर्किटेक्चरों, औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी। तथापि, कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों को गैर-तकनीकी वर्ग के अंतर्गत समूह-II में औषधालय में नर्स, कम्पाउंडर और फार्मासिस्ट के पद को, प्रत्येक मामले के आधार पर "तकनीकी और सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994" का अनुपालन करते हुए, भरने की अनुमति प्रदान की गई है।

पदों के पुनःवर्गीकरण से संबंधित समिति के निर्णय के लंबित होने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि चूंकि पुनःवर्गीकरण से संबंधित समिति के किसी निर्णय को उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा, अतः "तकनीकी और सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994" के अनुसार समूह-II में गैर-तकनीकी वर्ग में दिनांक 4.5.1999 के बाद नियुक्त नर्सों, कम्पाउंडरों और फार्मासिस्ट की मूल्यांकन पदोन्नति पर संशोधित मानस में निहित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाए।

कृपया उक्त अनुदेशों को अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रति:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी

जारी.2/-

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSFARCH, NEW DELHI E-mail : csirhq@sirnetd.ernet.in

3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव तथा अवर सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. अवर सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
9. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स
10. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (वर्तमान में आईआईटीआर) , पोस्ट बॉक्स सं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
13. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।